

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-

संचिका सं०-17/ए-03/2006/स्वा०, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में सुचारू रूप से शैक्षणिक कार्य संचालित रखने हेतु कार्यहित/छात्रहित में संविदा के आधार पर कार्यरत निम्नांकित कुल 07 (सात) चिकित्सक शिक्षकों की संविदा अवधि निम्नांकित तिथि से अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है :-

क्र०	चिकित्सक शिक्षकों का नाम	पदनाम	विभाग	संविदा अवधि विस्तार की प्रभावी तिथि
1.	डा० रणधीर कुमार	प्राध्यापक	पेरियोडोंशिया विभाग	03.03.2018
2.	डा० शशांक सौरभ	व्याख्याता	ऑपरेटिव/कंजरक्टिव विभाग	03.03.2018
3.	डा० शारिब अब्दुश सलाम	व्याख्याता	पेडियोडोटिक्स विभाग	04.03.2018
4.	डा० प्रियंका प्रियदर्शिनी	ट्यूटर	प्रोस्थोडोंशिया विभाग	03.03.2018
5.	डा० मो० जेयाउर रहमान	ट्यूटर	पेरियोडोंशिया विभाग	03.03.2018
6.	डा० आभास कुमार	ट्यूटर	ओरल सर्जरी विभाग	07.03.2018
7.	डा० रविन्द्र कुमार प्रसाद	ट्यूटर	ओरल पैथोलॉजी विभाग	05.03.2018

2. मानदेय के रूप में प्रत्येक प्राध्यापक को 1,32,500 रु० (एक लाख बत्तीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह, व्याख्याता को 75,000 रु० (पचहत्तर हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह एवं ट्यूटर को 59,000 रु० (उनसठ हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- 192 (17)

/ पटना, दिनांक- 19/3/2018

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-1718 दिनांक-06.05.2010 के प्रावधानानुसार एकरारानामा को पुनः सम्पादित करेंगे एवं एकरारनामा की तिथि से नया नियोजन माना जाएगा।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/ प्रशाखा-1,2 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/3/18
सरकार के विशेष सचिव।